**न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।**
**सत्र वाद संख्या– 1274/2025**
**सरकार बनाम नईम उर्फ बोडिल आदि।**
अंतर्गत धारा– 307, 411, 414
भा०दं०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट।
मु०अ०सं०– 198/2024
थाना– कपूरपुर, जिला– हापुड़।

**आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

**दिनांकः– 28.01.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्तगण **नईम उर्फ बोडिल व वाहिद** जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण **नईम उर्फ बोडिल व वाहिद** के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 307, 411, 414 व नईम उर्फ बोडिल के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 19.02.2026 को पेश हो।

**दिनांकः– 28.01.2026**

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.02.05 11:20:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।**
**सत्र वाद संख्या– 1274/2025**
**सरकार बनाम नईम उर्फ बोडिल आदि।**
अंतर्गत धारा– 307, 411, 414
भा०दं०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट।
मु०अ०सं०– 198/2024
थाना– कपूरपुर, जिला– हापुड़।

**आरोप**

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त **नईम उर्फ बोडिल** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

**प्रथम**– यह कि दिनांक 24.11.2023 को समय 18.08–21.40 बजे के बीच, बस्थान शिवाया तिराहे से 200 मीटर आगे, ईदगाह की तरफ, थाना कपूरपुर, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुलिसपार्टी को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर करके ऐसा कार्य कारित किया कि यदि उस कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 307 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**द्वितीय**– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त तथा सहअभियुक्त ने यह जानते हुए कि मोटरसाइकिल चोरी की है, को अपने पास रखा। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 414 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**तृतीय**– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त तथा सहअभियुक्त के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 411 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**चतुर्थ**– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त से एक अदद तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए, जिनको रखने का लाइसेंस मांगे जाने पर आप लाइसेंस दिखाने में कासिर रहे। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 3/25 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

**दिनांकः– 28.01.2026**

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

**दिनांकः– 28.01.2026**

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।

**न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।**
**सत्र वाद संख्या– 1274/2025**
**सरकार बनाम नईम उर्फ बोडिल आदि।**
अंतर्गत धारा– 307, 411, 414
भा०दं०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट।
मु०अ०सं०– 198/2024
थाना– कपूरपुर, जिला– हापुड़।

**आरोप**

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त **वाहिद** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

**प्रथम**– यह कि दिनांक 24.11.2023 को समय 18.08–21.40 बजे के बीच, बस्थान शिवाया तिराहे से 200 मीटर आगे, ईदगाह की तरफ, थाना कपूरपुर, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुलिसपार्टी को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर करके ऐसा कार्य कारित किया कि यदि उस कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 307 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**द्वितीय**– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त तथा सहअभियुक्त ने यह जानते हुए कि मोटरसाइकिल चोरी की है, को अपने पास रखा। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 414 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**तृतीय**– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त तथा सहअभियुक्त के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 411 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

**दिनांकः– 28.01.2026**

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

**दिनांकः– 28.01.2026**

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,हापुड़।